

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ 20 (101/05) आयो/आकाशि/2011/2134-38 दिनांक : 30-1-2012

389

आदेश

निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों की मांग के अनुसार बजट मांग संख्या 24 बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा-03, विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 800-अन्य व्यय (02) आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन 28-विविध व्यय (आयोजना) मद में अतिरिक्त राशि का बजट आवंटन किया जाता है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	राज0 महा0, झुंझुनु (329)	1.00
2	राज0 महा0, थानागाजी (330)	1.00
3	राज0 महा0, सोजतसिटी (331)	1.00
4	राज0 महिला महा0, झालावाड (305)	1.00
5	राज0 महिला महा0, चित्तौडगढ़ (302)	1.00
6	राज0 महिला महा0, शाहपुरा (316)	1.00
7	राज0 महा0, उनियारा (333)	1.00
8	राज0 कला महा0, अलवर (343)	1.00
9	राज0 महिला महा0, बाडमेर (24208)	1.00
10	राज0 महा0, भवानीमंडी (251)	1.00
11	राज0 महा0, कालाडेरा (265)	1.00
12	राज0 महिला महा0, कोटपूतली (3170)	1.00
13	राज0 महा0, नीम का थाना (311)	1.00
	<b>योग</b>	<b>13.00</b>

उक्त राशि का आहरण सामान्य लेखा नियमों के अनुसार किया जावे।

संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

क्रमांक:एफ 20 (101/05) आयो/आकाशि/2011/2134-38 दिनांक : 30-1-2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर
- 2- संबंधित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
- 3- मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा राज. जयपुर।
- 4- डा. धीरेन्द्र दवेर्षी, व्याख्याता कालेज शिक्षा को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना पर वेबसाईड पर डालने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (पी एण्ड सी)

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर